

HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION

The 12th March, 2013

No. PF-69/33102.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 24 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975) and with reference to Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification No. PF-69/26315, dated the 20th December, 2012, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, namely:- .

1. These rules may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Rules, 2013.

2. In the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, in rule-10, in sub-rule (1),-

(i) in the proviso for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that on the request of the applicant, for the extension of time limit for submission of bank guarantees under clause (a) of sub-rule (1) of rule 11, the Director, if satisfied that the reasons for delay in submission of the bank guarantee are beyond the control of the applicant, extend such time upto further ninety days period.”

S.S. DHILLON,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning Department

हरियाणा सरकार
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 12 मार्च, 2013

संख्या: पी.एफ.-69/33102 .- हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या पी0एफ0-69/26315, दिनांक 20 दिसम्बर, 2012 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) ये नियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) नियम, 2013 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 में, नियम 10 में, उप नियम (1) में,-
 - (i) परन्तुक में, अन्त में विद्यमान चिह्न "।" के स्थान पर ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि नियम 11 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन बैंक गारंटी की प्रस्तुति के लिए समय सीमा को बढ़ाने के लिए, आवेदक के अनुरोध पर, निदेशक यदि सन्तुष्ट हो जाता है कि बैंक गारंटी की प्रस्तुति में विलम्ब के लिए कारण आवेदक के नियन्त्रण से परे हैं, तो ऐसा समय आगे नब्बे दिन की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।"

एस0 एस0 दिल्ली,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।